डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
वि.भु.पु. भोपाल-12-06.

रजि. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 354] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2006—आषाढ़ 9, शक 1928

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2006

क्र. 4254 4948-2005-तेरह.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 152 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उन दरों को संशोधित करती है, जिन पर किसी ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति से, जिसने उक्त अधिनियम के अधीन दंडनीय विद्युत की चोरी का अपराध किया है या जिसके संबंध में युक्तियुक्त रूप से संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, अपराध के प्रशमन के तौर पर ऐसी धनराशि, उक्त अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (1) के अधीन स्वीकार की जा सकेगी, जो कि नीचे दी गई सारणी (टेबल) में विनिर्दिष्ट की गई हैं :—

सारणी

अनु-क्रमांक	उपवर्ग	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152 में विनिर्दिष्ट की गई दरें	संशोधित दर जिस पर प्रशमन करने के लिए धनराशि प्रति किलोवॉट (के.डब्ल्यू.)/ अश्वशक्ति (एच.पी.) या उसका भाग, निम्न दाब (एल.टी.) की सप्लाई और प्रति किलोवॉट एम्पीयर (के.वी.ए.), उच्चदाब (एच.टी.) की सप्लाई के लिए संविदात्मक मांग के अनुसार संग्रहीत की जाना है	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	औद्योगिक सेवा	रु. 20000/-	10 हार्सपावर तक	रु. 2000/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.
			10 हार्सपावर से ऊपर तथा 20 हार्सपावर तक.	रु. 5000/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.
			20 हार्सपावर से ऊपर	रु. 10,000/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.
2	वाणिज्यिक सेवा	रु. 10000/-	5 किलोवॉट तक	रु. 1000/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.
			5 किलो वॉट से ऊपर	रु. 2,500/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.

(1)	(2)	(3)	(4)	
3	कृषि सेवा	रु. 2,000/-	-	रु. 1000/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.
4	अन्य सेवा	रु. 4,000/-	-	रु. 1000/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.

ये दरें इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगी.

Bhopal, the 30th June 2006

No. 4054-4948-2005-XIII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 152 of Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the State Government hereby amend the rates at which the sum of money by way of compounding of the offences may be accepted under sub section (1) of Section 152 of the said Act from any consumer or person, who committed or who is reasonably suspected of having committed an offence of theft of electricity punishable under the said Act, as specified in the table below :—

TABLE

No. (1)	Category (2)	Rate specified under sub-section 152 of Electricity Act 2003 (3)	Amended rate at which the sum of money for compounding to be collected per Kilo Watt (KW)/ Horse Power (HP) or part thereof for Low Tension (LT) supply and per Kilo Watt Ampere (KVA) of contracted demand for High Tension (HT) (4)	
1	Industrial Service	Rs. 20,000/-	Up to 10 HP	Rs. 2000/- per HP and part thereof.
			Above 10 HP and up to 20 HP	Rs. 5000/- per HP and part thereof.
			Above 20 HP	Rs. 10000/- per HP and part thereof.
2	Commercial Service	Rs. 10,000/-	Up to 5 KW	Rs. 1000/- per HP and part thereof.
			Above 5 KW	Rs. 2500/- per HP and part thereof.
3	Agricultural Service	Rs. 2,000/-	-	Rs. 1000/- per HP and part thereof.
4	Other Services	Rs. 4,000/-	-	Rs. 1000/- per HP and part thereof.

These rates shall come into force from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. बी. अग्रवाल, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.